

Seventeenth Loksabha

pan>

Title: Introduction of the Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2019*

(Amendment of Section 2, etc.).

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006.”

The motion was adopted.

डॉ. संजय जायसवाल:, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।